

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां0प्र0क0-161 / 09
संस्था0दि0 11 / 06 / 09

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

गगन पिता माखन बेले, उम्र 25 वर्ष,
 जाति मेहरा, पेशा मजदूरी, नि0 ग्राम हसलपुर,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)।

-----अभियुक्त.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-29 / 07 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 454, 354 के तहत अभियोग है कि दिनांक 28 / 05 / 09 को शाम के करीब 05.00 बजे ग्राम हसलपुर में कारावास से दंडनीय लज्जा भंग संबंधी अपराध कारित करने के आशय से फरियादी दिव्या के आवासीय मकान में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी दिव्या जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम हसलपुर रहती है। कक्षा 5 वी पास हो गई है। सुबह उसके माँ बाप मजदूरी का काम करने गांव में गये थे। वह घर पर अकेली थी। शाम 5 बजे की बात है वह बर्तन मांज रही थी तभी उसके गांव का गगन बेले घर के अंदर आ गया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर मुंह दबा रहा था और छाती पर हाथ फेरने लगा उसकी चड्डी निकालने लगा, तो वह चिल्लाई तो इतने में उसके घर के पीछे मसरू काका आ गया तो दरवाजा हटाकर गगन बेले भाग गया, तो फिर उसने उसके माता-पिता को घटना की बात बताई और उसी समय उसकी रिपोर्ट करने आई हूँ रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे।
- 3— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 3 तैयार किया गया, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 225 / 09 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 452, 354 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, दि0 29 / 05 / 09

को घटना स्थल का नक्शा मौका प्र०पी०-4 बनाया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था, दिनांक 29/05/09 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०-1 बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया, अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया, किन्तु कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

5— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

1— आपने दिनांक 28/05/09 को शाम के करीब 05.00 बजे ग्राम हसलपुर में कारावास से दंडनीय लज्जा भंग संबंधी अपराध कारित करने के आशय से फरियादी के आवासीय मकान में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया?

2— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—

विचारणीय प्रश्न क० 1, 2 का निराकरण

6— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

7— अभियोजन साक्षी दिव्या (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह अपने घर में बर्तन मांज रही थी, तभी आरोपी गगन घर के अंदर आ गया है बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर मुंह दबा रहा था और उसकी छाती पर हाथ फेरने लगा और बुरी नियत से उसकी चड्डी उतारने लगा, वह चिल्लाई तो घर के पिछे रहने वाला मसरू आ गया तो गगन भाग गया। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है।

8— उक्त तथ्य प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र०पी० 3 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है, जो कि घटना घटित होने के तथ्यों को स्पष्ट करती है। साथ ही इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वतः कहा है कि आरोपी गगन घर के अंदर आ गया था। आगे यह अस्वीकार किया है कि जैसे ही गगन घर के अंदर घुसा वैसे ही उसने आवाज दी। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि उसने बाद में आवाज लगाई थी। अर्थात् आरोपी गगन फरियादी के घर के अंदर प्रवेश कर चुका था उसके बाद वह चिल्लाई थी।

9— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में व्यक्त किया है कि उसने आरोपी को घर के अंदर घुसने के पहले नहीं देखा था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसने घर के अंदर घुसने के बाद घर के अंदर का दरवाजा इसलिए नहीं लगाया था, क्योंकि वह घर पर काम कर रही थी। उक्त तथ्य ही फरियादी के घर में

अभियुक्त को प्रवेश करते हुये न देखना और उसके घर में प्रवेश करना कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार के तथ्य को ही स्पष्ट करते हैं।

10— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी कोई छाती नहीं दबाई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसका मुंह नहीं दबाया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी छाती पर कोई हाथ नहीं फेरा था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी चड्डी उतारने का कोई प्रयास नहीं किया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ बुरी नियत से कोई छेड़छाड़ नहीं की।

11— साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया गया है कि आपके द्वारा प्रतिपरीक्षा में बताया गया है कि पुलिस वाले के कहने पर आपने छेड़छाड़ की रिपोर्ट की है वह बात सही है या आरोपी ने आपके साथ छेड़छाड़ की है उसकी रिपोर्ट की है तो इस गवाह ने उत्तर दिया कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है इसलिए उसने रिपोर्ट की है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि फरियादी के घर में प्रवेश कर उसके साथ बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर मुंह दबाया तथा उसकी छाती पर हाथ फेरने लगा तथा बुरी नियत से उसकी चड्डी उतारने लगा। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से अभियुक्त के द्वारा एक स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया, स्पष्ट रूप से दर्शित होता है।

12— अभियोजन साक्षी मसरू (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह उसके घर पर था तभी उसे उसके मोहल्ले में रहने वाली लड़की दिव्या की आवाज सुनाई दी, फिर वह आवाज सुनकर दिव्या के घर गया तो दिव्या से कहने लगा कि गगन उसे मार रहा है। आरोपी गगन भी दिव्या के घर पर था। इस प्रकार इस गवाह ने फरियादी के साथ एक स्त्री की लज्जा भंग करने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है, किन्तु इस गवाह ने फरियादी की आवाज सुनी, जो कि घटना घटित होने के तथ्यों को स्पष्ट करता है, जो कि अभियुक्त को फरियादी के घर में रहने के तथ्य को भी स्पष्ट करता है, भले ही इस गवाह ने फरियादी की साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है किन्तु अभियुक्त की फरियादी के घर में उपस्थिति को स्पष्ट करती है जिससे घटना घटित होने के तथ्यों की पुष्टि होती है।

13— अभियोजन साक्षी सरस्वती (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय वह मजदूरी पर गई थी जब वह घर पर वापस आई तो उसकी लड़की दिव्या ने बताई की गगन जबरदस्ती घर में घुस गया था, छाती पर हाथ फेर रहा था और चड्डी निकाल रहा था, उसके चिल्लाने पर मसरू काका आ गया था जिसे देखकर गगन भाग गया था। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि उसने उसकी आंखों से घटना देखी, यह व्यक्त किया है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी ने उसकी लड़की का मुंह दबा दिया और आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और उसने आरोपी को कहा की भड़वे घर के अंदर क्यों घुस रहा है और हाथ से धक्का देकर उसे घर से निकला दिया, जब

वह घर से बाहर चला गया तो वह थाने में जाकर रिपोर्ट की। आरोपी उसके घर के अंदर घुस रहा था तो आरोपी को धक्का मारकर घर से भगा दिया।

14— इस प्रकार यह गवाह मुख्य परीक्षा से प्रतिपरीक्षा में विसंगत् कथन कहे गये हैं उसने घटना अपने आंखों से देखी थी। जबकि यह गवाह मुख्य परीक्षा में घटना के समय मजदूरी पर गई थी, बताया है, क्योंकि यह गवाह फरियादी की माँ है और एक स्वभाविक स्थिति होती है कि प्रत्येक माँ अपनी बच्ची के साथ घटना होने के पश्चात् वह अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा हो, इस उद्देश्य से कथनों को बड़ा चड़ाकर कथन करती है, किन्तु उक्त कथनों के कारण फरियादी की संपूर्ण साक्ष्य को अविश्वास नहीं किया जा सकता।

15— अभियोजन साक्षी सत्यप्रकाश बाजपेयी (अ0सा04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28.05.09 को फरियादी दिव्या बेले ने आरोपी गगन बेले के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 3 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना नक्शा मौका प्र0पी0 4 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त गगन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 1 बनाया है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान साक्षी मसरू बेले, राजू बेले, सरस्वती बेले, कु0 दिव्या के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये गए। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है।

16— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि साधारण मारपीट के मामले को उसने छेड़छाड़ का मामला बना दिया है। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि दिव्या बेले ने छेड़छाड़ वाली बात और चड़्डी उतारने वाली बात नहीं बताई थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में अस्वीकार किया है कि वह मौके पर नहीं गया था और थाने में बैठकर मौका नक्शा बना लिया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने गवाहों के बयान उसके मन से बना लिया था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि फरियादी के साथ छेड़छाड़ की घटना होने के कारण ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फरियादी ने भी अपनी साक्ष्य से रिपोर्ट प्र.पी. 3 को सत्यापित भी किया है और इस गवाह ने भी अपनी साक्ष्य से सत्यापित किया है। उसी प्रकार घटना नक्शा मौका प्र0पी0 4 को भी फरियादी एवं इस गवाह ने अपनी साक्ष्य से सत्यापित किया है। इस प्रकार विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही प्रमाणित मानी जाती है।

17— उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादी के आवासीय मकान में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया। और उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादी जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं0 1 व 2 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

18— उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी के आवासीय मकान में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार

कारित किया। और उर्पयुक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार अभियुक्त गगन को भा०द०वि० की धारा 454, 354 के अपराध के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

19— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजेन्द्र उपाध्याय द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त गरीब व निर्धन व्यक्ति है उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान करते हुये कम से कम अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया, इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी. पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

20— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया। अभियुक्त को भा०द०वि० की धारा 454, 354 के अपराध में दोषसिद्ध किया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। इस कारण अभियुक्त को परिवीक्षा अवधि का लाभ प्रदान किये जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण नहीं होती है, इस कारण अभियुक्त को सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड से दंडित किये जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। अतः निम्न तालिका अनुसार अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

क्रं	अभियुक्त	धाराएँ	कारावास एवं अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यति-क्रम में कारावास
1.	गगन	454 भा.द.वि.	अभियुक्त को 1(एक) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300/—(तीन सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 2(दो) माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।
2.	गगन	354 भा.द.वि.	अभियुक्त को 1 (एक) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300/—(तीन सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 2 (दो) माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।

21— दी गई सश्रम कारावास की सजा साथ-साथ भुगताई जावे। यदि अभियुक्त रिमांड या विचारण के दौरान उपजेल मुलताई में निरुद्ध रहा हो तो दंड

प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 के अंतर्गत मुजरा की जावे।

22— द.प्र.सं. की धारा 357(3) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति स्वरूप फरियादी दिव्या को 400 /— रुपये प्रदान किया जावे।

23— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं है।

24— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के पूर्व प्रस्तुत जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0